श्री भबूताराम पुत्र छोगाजी पुरोहित
जाति ब्राहण निवासी वराडा
तहसील व जिला सिरोही

स्टेट जरिये तहसीलदार ,सिरोही

1– प्रार्थी की ओर से वकील श्री प्रकाश प्रजापत
2– अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार,सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत
वास्ते राजस्व रेकर्ड इन्द्राजात दुरूस्ती करने हेतु

आदेश

दिनांक 31–7–2020

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का इस न्यायालय मे दि 28–7–2020 को पेश किया जिसका प्रार्थनापत्र मे संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि ग्राम वराडा पटवार हल्का वराडा तहसील सिरोही मे निम्नांकित कृषि आराजी स्थित है :–

खाता संख्या नया /पुराना	खसरा संख्या नंबर नया	किस्म	रकबा
3	132	गै.मु.चाह	0.0700 हैक्टेयर
3	133	चाही I	0.6500 हैक्टेयर
3	134	चाही I	2.1500 हैक्टेयर
3	158	चाही I	2.0800 हैक्टेयर
कुल खसरा 4 कुल रकबा 4.9500 हैक्टेयर			
63/61	458	बारानी	2.4800 हैक्टेयर
कुल खसरा 1 कुल रकबा 2.4800 हैक्टेयर			

उक्त कृषि आराजी प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान के संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है। जिस पर प्रार्थी एवं अन्य संयुक्त खातेदारान काश्त करते आ रहे है। उक्त वर्णित कृषि आराजी की वर्तमान जमाबंदी राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी (काश्तकार) के नाम के कॉलम मे सहवन से दर्ज गलत नाम "भबूतमल पुत्र छोगा" अंकित है की जगह प्रार्थी का सही वास्तविक व सम्मानजनक नाम "भबूताराम पुत्र छोगाजी" जाति पुरोहित निवासी वराडा तहसील व जिला सिरोही दुरूस्त करने के आदेश फरमावें । उक्त दोनो नाम का प्रार्थी एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी के उक्त गलत नाम की जगह सही वास्तविक नाम दुरूस्त किये जाने की स्थिति मे अन्य खातेदारान के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र के संलग्न मौजा वराडा तहसील सिरोही की जमाबंदी संवत 2072 से 2075 तक खाता संख्या 3 तथा जमाबंदी संवत 2072 से 2074 तक खाता संख्या 63 तथा प्रार्थी का आधार कार्ड व राशनकार्ड की प्रतियों का अवलोकन करने पर प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ सहमत होने से न्यायालय मे दिनांक 28–7–2020 को दर्ज रजिस्टर होकर
पत्रावली पेश हुई ।

अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार कालन्द्री) ने आज दिनांक 28–7–2020 को दौराने सुनवाई न्यायालय मे जवाब पेश किया जिसे शा.मि. किया गया । पैरोकार सरकार ने अपने जवाब मे कथन किया कि मौजा वराडा के खाता संख्या 3 एवं 63 मते भबूतमल पुत्र छोगा हि.1/8 व 1/20 जाति ब्राहाण सा.देह खातेदार दर्ज है। परन्तु प्रार्थी द्वारा साक्ष्य के रूप मे आधार कार्ड ,राशनकार्ड ,ईत्यादि दस्तावेजों मे भबूताराम पुत्र छोगाजी दर्ज है। जो प्रार्थी का वास्तविक सही नाम है। अतः प्रार्थी के राजस्व रेकर्ड मे भबूतमल पुत्र छोगा के स्थान पर भबूताराम पुत्र छोगाजी दर्ज करना उचित है।

आज दिनांक 28–7–2020 को विचाराधीन प्रकरण मे प्राथी व अप्रार्थी स्टेट पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार कालन्द्री) द्वारा [illegible] प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट पर सीधी अंतिम बहस करने का निवेदन करने से अं[illegible] सुनी गई ।

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:29:46 IST
Reason: SelfAttested

हमने विचारण प्रकरण मे वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार कालन्द्री) की अंतिम बहस सुनकर उस पर मनन किया । विचारण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली मय प्रार्थनापत्र व प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित उक्त जमाबंदीयों की प्रतियों व आधार कार्ड व राशनकार्ड की प्रतियों का गहनापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया । उक्त सभी के आधार पर मौजा वराडा के खाता संख्या 3 एवं 63 मते भबूतमल पुत्र छोगा हि.1/8 व 1/20 जाति ब्राहाण सा.देह खातेदार दर्ज है। परन्तु प्रार्थी द्वारा साक्ष्य के रूप मे आधार कार्ड ,राशनकार्ड ,ईत्यादि दस्तावेजों मे भबूताराम पुत्र छोगाजी दर्ज है। जो प्रार्थी का वास्तविक सही नाम है। अतः प्रार्थी के राजस्व रेकर्ड मे भबूतमल पुत्र छोगा के स्थान पर भबूताराम पुत्र छोगाजी दर्ज करना उचित है। राजस्व विभाग राज.जयपुर के भी निर्देश है कि राजस्व रेकर्ड मे खातेदार का सम्मानजनक नाम दर्ज किया जावे । प्रार्थीगण के उक्त अशुद्व नाम की जगह सम्मानजनक नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करना लिपिकिय त्रुटि की परिभाषा मे आने से न्यायहित मे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है अन्यथा भविष्य मे प्रार्थी को मानसिक तनाव व आर्थिक नुकसान हो सकता है तथा भविष्य मे उक्त मामले मे कानूनी उलझने पैदा हो सकती है। राजकीय योजनाओं का लाभ ,बैक लोन व अनुदान राशि प्राप्त करने मे कानूनी बाधाऐ पैदा नही हो इसको मध्यनजर रखते हुये : उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने का स्वीकार योग्य होने सें स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार सिरोही) को आदेश दिया जाता है कि मौजा वराडा तहसील सिरोही मे स्थित कृषि आराजी की वर्तमान जमाबंदी संवत 2072 से 2075 के खाता संख्या 3 के खसरा नंबर 132,133,134,158 किता 4 कुल रकबा 4.9500 हैक्टेयर तथा जमाबंदी संवत 2072से 2075 के खाता संख्या 63 के खसरा नंबर 458 रकबा 2.4800 हैक्टेयर मे की वर्तमान जमाबंदी मे वर्तमान जमाबंदी राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी (काश्तकार) के नाम के कॉलम मे सहवन से दर्ज गलत नाम "भबूतमल पुत्र छोगा" अंकित है की जगह प्रार्थी का सही वास्तविक व सम्मानजनक नाम "भबूताराम पुत्र छोगाजी" सम्मानजनक नाम दुरूरुत/दर्ज कर अपडेट कर पालना रिर्पोट शीघ्र पेश करें । निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(हॅसमुख कुमार)
लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज॰)

उपरोक्त आदेश आज दिनांक 31–7–2020 को मेरे हस्ताक्षर,पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज॰)

न्यायालय लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर सिरोही (राज॰)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:29:46 IST
Reason: SelfAttested